न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 51 / 2026 (GCMS : 2026/110)

मनी राम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी चक 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **मांगी लाल** पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **ताराचन्द** पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **जमना** पत्नी श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **अंकेश** पुत्र श्री पाला राम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **अलका** पुत्री श्री पाला राम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **कमला देवी** पत्नी श्री पाला राम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **संतो देवी** पुत्री श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
8. **देवी लाल** पुत्र श्री पालराम जाति मेघवाल निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार, पदमपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह मिशन एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने धारा 251 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2025 को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जो रास्ता चाहा है वास्तव में मौका पर चालू नहीं [illegible] पदमपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.02.2026 को जांच रिपोर्ट [illegible] किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया [illegible] 03 अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने राजनैतिक संबंधों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रकरण में निर्णय को अपने पक्ष में कराने पर उतारू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त प्रकरण में अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में वकालतनामा शामिल नहीं किया। अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में एक पक्षीय निर्णय किये जाने की संभावना हैं, जिससे प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए प्रार्थी उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की अपील पूर्व में खारिज की जा चुकी है और उसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की थी, वहां से भी प्रकरण खारिज किया जा चुका है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से विचाराधीन प्रकरण की ऑर्डरशीट सहित नकल चाही गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बार–बार पीठासीन अधिकारी से मिलते जुलते हुए देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अवैध तरीके से पीठासीन अधिकारी से उक्त पत्रावली का फैंसला अपने हक में करवा सकते है। इसलिए न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय को भ्रमित करने के अधीनस्थ न्यायालय की फर्दअहकाम की नकल प्रस्तुत नहीं की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए, इसलिए दिनांक 18.03.2026 को उपस्थित नही होने के कारण, उनके द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रार्थी [illegible] र्थना पत्र में आगामी तारीख पेशी 23.03.2026 होना अंकि[illegible] में तारीख पेशी 23.03.2026 नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण [illegible] व्यक्ति है और उनका अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनैतिक दबाव नहीं है। प्रार्थी ने मात्र प्रकरण को मुंतकिल करने के लिए इस प्रकार के तथ्य अंकित किये है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह कथन है कि यदि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय / राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पूर्व में कोई निर्णय पारित किये जा चुके है तो उसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की प्रति पेश कर सकते है, उसके लिए प्रकरण को मुंतकिल किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 07.04.2026 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के प्रकरण संख्या 66 / 2025 अनवानी मांगीलाल बनाम मनीराम को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को धारा 251ए आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव के कारण, प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। **मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। किसी व्यक्ति का राजनैतिक प्रभाव का आरोप साधारण प्रकृति का है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी, किसी भी समय लगाया जा सकता** है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है।

न्यायिक दृष्टानत आर.बी.जे. 2009(16) पेज 475 में तो यहां तक कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो भी प्रकरण स्थानान्तरित नहीं करना चाहिए। प्रकट किया गया अभिमत निम्न प्रकार है:

> **Transfer of case**: Transferring a case without sufficient or adequate reasons even on the basis of consent or convenience of the parties, case cannot be transferred to another court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र [illegible] के आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था [illegible] व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। **किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रतिकूल असर पड़ता है, जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता बल्कि रिकॉर्ड पर **ऐसे तथ्य होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में पक्षपात का संदेह पैदा करता हो।** बिना ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। **उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा** प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार प्रमाणिक साक्ष्य या ठोस आधार के **स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित प्रतीत होता है।**

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि **दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested